

प्रेषक,

डा0 राज शेखर,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**लोक निर्माण अनुभाग-1****लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2018****विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद जौनपुर में 04 एवं जनपद आजमगढ़ के 01 मार्ग निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-2581(58)समग्र वृत्त/2017-18, दिनांक 29.12.17 एवं पत्र सं0-106(58)समग्र वृत्त/2017-18, दिनांक 12.01.18 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद जौनपुर में 04 एवं जनपद आजमगढ़ के 01 मार्ग निर्माण कार्य हेतु लागत ₹0 1,68,89,000/- (रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख नवासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से **₹0 67,54,000/- (रूपये सड़सठ लाख चौप्यन हजार मात्र)** की धनराशि आवंटित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(धनराशि ₹0 लाख में)**

क्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन
1	2	3	4		
1	जौनपुर	मियाँपुर-हरईपुर मार्ग से न्यू भगवती कालोनी सम्पर्क मार्ग का निर्माण का कार्य।(ग्रा0मा0)	0.260	22.77	9.10
2	जौनपुर	बाकराबाद, तालामझवारा मार्ग से ठाकुर, लोहार, भूज बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण का कार्य।(ग्रा0मा0)	0.700	32.11	12.84
3	जौनपुर	सेहमलपुर गाँव में चौरा माता मंदिर से नहर की पटरी होते हुए मौर्या एवं हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।(ग्रा0मा0)	0.750	33.10	13.24
4	जौनपुर	ग्राम-भगरी से सेहमलपुर गाँव की सरहद तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.200	53.16	21.26
5	आजमगढ़	आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग से नुरुद्दीनपुर सम्पर्क के कि0मी0 1 से नुरुद्दीनपुर हिन्दु बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।(ग्रा0मा0)	0.500	27.75	11.10
<b>योग</b>				<b>168.89</b>	<b>67.54</b>

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्याश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में टान्सफर इंटी डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य हास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य हास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-

